कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड

क्रमांक–जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/नि.शाप्रअनु.III/2016/ दिनांक 16/9/2016

कार्यालय– आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक–शिविरा–माध्य /संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/ सी.भ./2013–16 दिनांक 8.9.2016 के द्वारा जिला आवंटित अभ्यर्थियो का राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(4)शिक्षा –2/2009 दिनांक 29.3.2016 के अनुसार काउंसलिंग दिनांक 16.9.2016 को किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम –2008 के अनुसार पीबी–2 (9300–34800)ग्रेड पे–3600 के पद पर चयनोपरान्त संलग्न सूची के अभ्यर्थियो को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रस्तुत डी.बी.स्पेशल अपीलो में निर्णय दिये जाने पर माननीय खण्डपीठ द्वारा एकलपीठ के बिन्दु 11 के निष्कर्ष को अपास्त कर दिये जाने के उपरान्त इन अभ्यर्थियो को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड –III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.1.2006 एवं एफ 12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.3.06 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगे।

1– इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक /प्रशैक्षिक ,आयु,जाति एवं अन्य आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो की मूल दस्तावेजो से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखो में सुरक्षित रखेगें, कोई भिन्नता /संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेगे ।

2– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगें ।जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है , उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ।

3– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे । जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत है उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ।

4– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरूप कुल सन्तानो की संख्या दो से अधिक नही होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।

5– राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता सम्बंधी जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी है , अतः जिन अभ्ययर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योगयता अर्जित की गई है , उन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेगें । यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6– जो अभ्यर्थी बी.पी.ई.(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेगें। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पदस्थापन दिया गया है तो संस्थाप्रधान उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवायें एंव सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र लौटाते हुंए देवें।

7– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि –उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐ एवं दस्तावेज सही है । इनके त्रुटिपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्धनियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

8– विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह ,पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 10/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें ।

9– संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगें ।

10– अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को जारी प्रमाण पत्रो के संबंध में निम्न बिन्दुओ की जॉच किये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावे ।

(अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हेा कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये । उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का होने पर नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे ।

(ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है । विवाहित महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह मान्य नहीं है ।

11– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण–पत्र संबंधित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित /प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही उपस्थिति पर कार्यग्रहण करवाया जावे । एवं **अभ्यर्थी की योग्यता राज्य से बाहर की हो तो एक माह के अन्दर योग्यता संबधी प्रमाण–पत्रो की जॉच करवाकर स्थानीय कार्यालय को सूचित करें** ।

12– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमॉक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनॉक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 26.9.2016 तक कार्यग्रहण** करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी ।

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड

क्रमांक'–जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/नि.शाप्रअनु.III/2016/771 दिनांक– 16/9/2016

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
2–शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक(ग्रुप–2)विभाग राजस्थान जयपर ।
3–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर ।
4–सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ।
5– उप निदेशक माध्यमिक शिक्ष विभाग कोटा ।
6–संबंधित संस्था प्रधान उमावि/मावि................................ ।
7–संबंधित आशार्थी ।
8–रक्षितपत्रावली ।

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड़

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक III

क्रमांक– जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/नि.शाप्रअनु.III/2016/771 दिनांक 16/9/2016

क्र. सं.	वरियता क्रमॉक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2785	नेमीचन्द राठौर	लटूरलाल राठौर	गांव गाडरवाड़ा डूण्डी तह. खानपुर जिला झालावाड़	BC,LD	01.1.74	OBCM /LD	राउमावि अलावा (भवानीमण्डी)
2	60	मिठ्ठूलाल सैनी	किशनलाल	मालियान मंदिर के पास वार्ड नं0 5 टोडा रायसिंह टोंक	BC	03.7.79	GENM	राउमावि देवरीकलॉ (अकलेरा)
3	501	सुनील कुमार	दुर्जनराम	ग्राम व पोस्ट कम्हरिया थाना कन्दवा तह. चन्दोली जिला चन्दोली उत्तर प्रदेश	GE	5.10.87	GENM	राउमावि बडबद (मनोहरथाना)
4	1324	सत्यनारायण सुमन	छोटूलाल सुमन	म0नं0 80 लक्ष्मण विहार प्रथम कुन्हाड़ी कोटा	BC	04.2.77	OBCM	राउमावि बोलियाबुजुर्ग(पिडावा)
5	2609	रमेश कुमार	रामसिंह	प्लाट नं. 13 ए रघुनाथ विहार गली नं. 5 पच्चावाला सिरसी रोड़ जयपुर	GE,EX	04.8.65	GENM /EX	राउमावि सरेडी (मनोहरथाना)

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड